# *कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी*

## *प्रेस नोट*

***दिनांक-07.01.2024***

**विषयः-श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उपायुक्त गोमती जोन द्वारा समस्त सहायक पुलिस आयुक्त/थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी के साथ की गई समीक्षा गोष्ठी, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के आदेश के क्रम में आज दिनांक 07.01.2025 को श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन एवं श्री आकाश पटेल, अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन द्वारा गोंमती ज़ोन कार्यालय, बाबतपुर में गोमती जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त/थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष एवं चौकी प्रभारी के साथ समीक्षा गोष्ठी की गई। इस गोष्ठी में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई:

1. सुरक्षा के दृष्टिगत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दुकानों, बैंकों, मंदिरों, एटीएम, पेट्रोल पंपों, होटलों, ढाबों एवं ग्राहक सेवा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
2. धार्मिक स्थलों पर लगें अनाधिकृत लॉउड स्पीकरों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए हटवाने के निर्देश दिए गए।
3. ऑपरेशन चक्रब्यूह के अन्तर्गत थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन चिन्हित स्थानों चौराहों/तिराहों/बाजार में किसी एक प्वाइंट पर बैरियर पिकेट लगाकर कर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की गहनता से चेकिंग की जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. थाना क्षेत्र के जेल से बाहर व जेल के अन्दर के सक्रिय टॉप 10 अपराधियों की अद्यतन सूची तैयार करने व उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. पुलिसकर्मियों को प्रभावी रात्रि गश्त करने के सम्बन्ध में निर्देशित करते हुए अवगत कराया गया कि ठंड व कोहरा बढ़ने के कारण घुमंतू गिरोह के अपराधियों के सक्रिय होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसको लेकर प्र0नि0 व पुलिसकर्मियों को रात्रि गश्त को और प्रभावी बनाने के साथ ही संदिग्धों पर नजर रखने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रतिबंधित चाइनीज मांझा व नायलान का मांझा बेचने वालों के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही चाइनीज मांझा का इस्तेमाल कर पंतग उड़ाने वालों को इसके इस्तेमाल से होने वाली दुर्घटनाओं से अवगत कराते हुए इस्तेमाल करने से मना करने और न मानने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
7. आगामी कुम्भ मेला-2025 के दृष्टिगत, तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने व दुर्घटना एवं जाम की स्थिति को रोकने हेतु होटल, ढाबों, और वाहन मरम्मत की दुकानों के सामने मार्ग पर अनावश्यक वाहन न खड़ा करने हेतु निर्देशित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन
कमिश्नरेट वाराणसी।